आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रयागराज,तहसील :फूलपुर
वाद संख्या :-6797/2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202030206797
गौतम बुद्ध सामाजिक सेवा बनाम ग्राम सभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

नकल आदेश

प्रस्तुत वाद गौतम बुद्ध सामाजिक सेवा एवं शिक्षण ट्रस्ट ग्राम सरायलीली उर्फ खोजापुर परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर प्रयागराज द्वारा अध्यक्ष सचिव कृष्णाराम पुत्र स्व0 जवाहर लाल नि0 मोहल्ला जमीलाबाद कस्बा व तहसील फूलपुर प्रयागराज के प्रार्थना पत्र के आधार पर योजित हुआ जिसमें कहा गया है कि मौजा सरायलीली उर्फ खोजापुर परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर प्रयागराज के आ0सं0 603/0.1050है0 में से 0.0180है0 व 604/0.2100है0 कुल 2 गाटा योग रकबा 0.2280है0 अपना सम्पूर्ण अंश पर सहसंक्रमणीय भूमिधर है जो उक्त आराजी मे से 2280है0 भूमि पर वादी द्वारा मकान व बाउन्ड्रीवाल बनाकर आवासीय उपयोग किया जा रहा है। प्रश्नगत आराजी पर कृषिक कार्य बिल्कुल नहीं होता है। अतः उक्त आराजी को अकृषिक घोषित करते हुये लगान मुक्त किया जाय।

नियमानुसार तहसीलदार फूलपुर से . जांच आख्या आहूत की गई। तहसीलदार फूलपुर ने अपनी जांच आख्या में कहा गया है कि मौजा सरायलीली उर्फ खोजापुर परगना सिकन्दरा के वर्तमान खतौनी 1427–1432फ0 के खाता सं0 276 के गाटा सं0 604/0.2100है0 व 603/0.1050है0 कुल दो गाटा मे वादी का अंश बैनामें के आधार पर कुल रकबा 2280 वर्गमी0 पर संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त आराजी में से 2280 वर्गमी0 मकान व बाउन्ड्रीवाल के रूप मे उपयोग मे लाया जा रहा है। कृषिक कार्य नही होता है तथा आवासीय प्रयोग मे लाया जा रहा है। तहसीलदार फूलपुर द्वारा अपनी जांच आख्या में उक्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है। वादी ने अपने साक्ष्य मे वर्तमान उद्धरण खतौनी 1427–1432फ0, आकार पत्र 41, 45 व 1359फ0 के खसरा की सत्यप्रतिलिपि व 2% उद्घोषण शुल्क/न्यायशुल्क मु0 20246.40/–रू0 देय है जो मु0 22000/–रू0 का चालान सं0 HR00002 दिनांक 27.08.2021 व सीमांकन शुल्क मु0 1000/–रू0 जो चालान सं0 HR00001 दिनांक 27.08.2021 तथा सम्बन्धित आराजी की फोटो व सहखातेदारों की अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर अपना साक्ष्य पूर्ण किया। उपरोक्त के आधार पर उक्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या के आधार पर मौजा सरायलीली उर्फ खोजापुर परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर प्रयागराज के वर्तमान खतौनी 1427–1432फ0 के खाता सं0 277 के आ0सं0 603/0.1050है0 में से 0.0180है0 व खाता सं0 276 के आ0सं0 604/0.2100है0 सम्पूर्ण यानी कुल 2 गाटा में से 0.2280है0 को अकृषिक घोषित करते हुये लगान मुक्त किया जाता है। तहसीलदार की जांच आख्या 10.08.2021 आदेश का अंग होगा। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अम्बरीष कुमार बिंद)
उपजिलाधिकारी फूलपुर
प्रयागराज।

Date of Application 29-7-22
Date of Notice 29-7-22
Date of Issue 30-7-22
No. of Words 210

Reader To S.D.M./S.D.O.
Phulpur, Allahabad

पृष्ठ संख्या :